झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–825 वर्ष 2017

1. जमादार राय
2. हृदय सिंह .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, बोकारो
3. अनुमण्डलीय अधिकारी, बोकारो
4. अंचलाधिकारी, चास .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– मैसर्स ए0के0 सहानी और अजीत कुमार, अधिवक्तागण

उत्तरदाता–राज्य के लिए :– श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0

2 / 27.02.2017 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना। याचिकाकर्ता कैंप–II, बोकारो स्टील सिटी, जिला–बोकारो के एक क्षेत्र से उसे हटाये जाने से सुरक्षा चाहता है, जहां उनका खटाल स्थित है, उसे इसी तरह की कार्रवाई की आशंका है, जैसा कि दो अन्य व्यक्तियों लालजी रॉय, पे0 स्वर्गीय रामाशीष रॉय, ज्वाला सिंह, पे0 रामायण सिंह के खिलाफ प्रतिवादी संख्या–4, अंचलाधिकारी, चास द्वारा ज्ञाप संख्या 142 दिनांक 27.01.2017 से नोटिस जारी किया गया जो अनुलग्नक–6 पर है। अनुलग्नक–5 पर रखा पेपर कटिंग को अतिक्रमण को हटाने के आशंका का आधार बनाया गया है। अनुलग्नक–1

जो नगर प्रशासक, बोकारो स्टील सिटी द्वारा जारी दिनांक 16/21.08.1972 का पत्र है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने कैंप–II के पास कुछ अन्य लोगों के साथ संरचना (खटाल) बनाए रखे जाने की अनुमति देने का दावा किया है।

रिट याचिका में दलीलें अपर्याप्त हैं और याचिकाकर्ता को अपनी आशंका को सही ठहराने के लिए ऐसा कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। समाचार पत्रों की रिपोर्टें हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती हैं। अनुलग्नक–6 पर रखा नोटिस से पता चलता है, उन व्यक्तियों के खिलाफ 29.01.2017 को ही अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करनी थी। याचिकाकर्ता की आशंका समय से पहले की प्रतीत होती है।

उपरोक्त दलीलों की स्थिति में, इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कार्रवाई की जाती है, तो याचिकाकर्ता पर्याप्त सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)